न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 39 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
तहसीलदार भू.अ. सायला जिला जालोर		ग्राम पंचायत भूण्डवा

प्रार्थनापत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136
बाबत रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित– 1. सरकारी पैरोकार (तह0 सायला) प्रार्थी की ओर से

आदेश दिनांक 20/5/19

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि डीआईएलआरएमपी प्रोजक्ट के अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग के दौरान जांच में जमाबन्दी एवं नक्शे में उपलब्ध खसरों के मिसमेच होने पर सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियां पाई गई जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत शुद्ध किये जाने बाबत ग्राम भूण्डवा की मिसल बन्दोबश्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 281 / 832 रकबा 0.45 हे., ग्राम पंचायत के खाते में आबादी दर्ज है एवं तद्नुसार जमाबन्दी संवत् 2069–72 में भी उक्त खसरा नम्बर 281 / 832 रकबा 0.45 हे. में ग्राम पंचायत के खाते में आबादी दर्ज है। पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा, तहसील में उपलब्ध मोमीया ट्रेस एवं शीट में खसरा नम्बर 281 / 832 की बजाय 487 / 832 अंकित है । चूंकि खसरा नम्बर 487 / 832 के आस पास भी बट्टा नम्बर ही दर्ज है एवं मूल खसरा नम्बर 281 एवं 487 उक्त खसरा सं. 487 / 832 से समान दूरी पर ही अवस्थित है एवं सैटलमेंट के दौरान पहले शीट ही तैयार होती है लिहाजा शीट में अंकित खसरा 487 / 832 को ही सही मानते हुए मिसल बन्दोबश्त एवं जमाबन्दी में खसरा नम्बर 281 / 832 की बजाय 487 / 832 संलग्न प्रस्ताव के अनुसार किया जाना उचित है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबश्त में 281 / 832 गलत दर्ज हुआ है, जो सैटलमेंट की गलती है लिहाजा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व नियम 1956 के तहत दर्ज कर नियमानुसार मिसल बन्दोबश्त में खसरा नम्बर 487 / 832 दर्ज किये जाने हेतु आदेशित करावें ताकि शुद्ध/संशोधन किया जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सह खातेदार को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ व अप्रार्थी द्वारा ग्राम भूण्डवा के खसरा नम्बर 281 / 832 की बजाय 487 / 832 रेकर्ड शुद्धि मिसल बन्दोबस्त व जमाबंदी में शूद्ध किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही होने का सहमती पत्र दिया गया है।

तहसीलदार सायला, भू.अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी हल्का के सयुक्त हस्ताक्षररार्थ से अपनी जांच रिपोर्ट एवं उपर्युक्त प्रार्थना पत्र व प्रार्थीगण का सहमती पत्र का का अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम भूण्डवा की मिसल बन्दोबश्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 281/832 रकबा 0.45 हे., ग्राम पंचायत के खाते में आबादी दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2069–72 में भी उक्त खसरा नम्बर 281/832 रकबा 0.45 हे. में ग्राम पंचायत के खाते में आबादी दर्ज है। पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा, तहसील में उपलब्ध मोमीया ट्रेस एवं शीट में खसरा नम्बर 281/832 की बजाय 487/832 अंकित है । चूंकि खसरा नम्बर 487/832 के आस पास भी बट्टा नम्बर ही दर्ज है एवं मूल खसरा नम्बर 281 एवं 487 उक्त खसरा सं. 487/832 से समान दूरी पर ही अवस्थित है एवं सैटलमेंट के दौरान पहले शीट ही तैयार होती है लिहाजा शीट में अंकित खसरा 487/832 को ही सही मानते हुए मिसल बन्दोबश्त एवं जमाबन्दी में खसरा नम्बर 281/832 की बजाय 487/832 संलग्न प्रस्ताव के अनुसार किया जाना उचित है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबश्त में 281/832 गलत दर्ज हुआ है, जो सैटलमेंट की गलती है प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भूण्डवा के मिसल बन्दोबस्त व वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 281/832 की बजाय 487/832 दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। हम तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट से सहमत है तथा तहसीलदार की जांच व अनुशंषा अनुसार पर सरहद मोजा भूण्डवा मिसल बन्दोबस्त व वर्तमान जमाबंदी संवत 2069–72 खाता संख्या 317 के खसरा नम्बर 281/832 की बजाय 487/832 की दुरूस्ती की जानी न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर सरहद मोजा भूण्डवा की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 317 के खसरा नम्बर 281/832 की बजाय 487/832 की दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है। रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार सायला को तहरीर जारी हों।

आदेश दिनांक ....20/5/19.......... को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(गोमती शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सायला